अधिवक्ताओं का राज्य स्तरीय सम्मेलन, कई मुद्दों पर हुआ मंथन

पाली, (नि.सं.) ऑल राजस्थान एडवोकेट फेडरेशन द्वारा आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय अधिवक्ता कॉन्फ्रेंस का भव्य शुभारंभ पाली जिले में जाडन स्थित प्रसिद्ध ओम आश्रम में हुआ। सम्मेलन में राजस्थान के विभिन्न जिलों से अधिवक्ता एक मंच पर एकत्रित हुए। प्रदेशभर के अधिवक्ताओं की उल्लेखनीय भागीदारी के चलते यह आयोजन अधिवक्ताओं के महाकुंभ के रूप में नजर आया, जहां अधिवक्ता हितों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन किया गया।

राज्य स्तरीय अधिवक्ता कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अवतार पुरी (उताधिकारी, ओम आश्रम जाडन), फूल पुरी (महामण्डलेश्वर), राजेन्द्र पुरी (आचार्य), रणजीत जोशी (अध्यक्ष, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जोधपुर), राम मनोहर शर्मा (पूर्व अध्यक्ष, जयपुर), रघु गौतम तथा दिलीप सिंह उदावत (अध्यक्ष, लायर्स एसोसिएशन जोधपुर), अध्यक्ष पी.एम. जोशी एवं सचिव मुकुल सोनी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।

अभिभाषक मंडल पाली के अध्यक्ष पी.एम. जोशी ने अतिथियों का स्वागत उद्बोधन देते हुए सभी अतिथियों एवं राजस्थान के विभिन्न जिलों से पधारे अधिवक्ताओं का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेशभर से आए अधिवक्ताओं की उपस्थिति इस राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस को ऐतिहासिक बना रही है। उन्होंने अधिवक्ता एकता, संगठन की मजबूती तथा अधिवक्ता हितों की रक्षा के लिए इस प्रकार के आयोजनों को महत्वपूर्ण बताया और सभी अधिवक्ताओं का कार्यक्रम में पधारने के लिए आभार व्यक्त किया।

मुख्य अतिथि अवतार पुरी उताधिकारी, ओम आश्रम जाडन एवं फूल पुरी महामण्डलेश्वर ने अपने संबोधन में सत्यमेव जयते के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था का मूल आधार सत्य और धर्म है तथा अधिवक्ता समाज न्याय की इस व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

उन्होंने अधिवक्ताओं से सत्य, न्याय और समाज सेवा के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का आहवान किया।

कोटा अभिभाषक मंडल पूर्व अध्यक्ष रघुनंदन गौतम ने अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अधिवक्ताओं की आवाज को बार काउंसिल एवं राज्य सरकार को अवश्य सुनना होगा। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जिला स्तर पर बार काउंसिल के कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता है, ताकि अधिवक्ताओं को अपने कार्यों के लिए दूर-दूर तक नहीं जाना पड़े।

उन्होंने कहा कि अधिवक्ता समाज की आवाज को कोई दबा नहीं सकता, और अधिवक्ताओं के सम्मान एवं अधिकारों की रक्षा के लिए सभी अधिवक्ता एकजुट हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि अधिवक्ता वेलफेयर फंड में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इस राशि का उपयोग कहां और किस प्रकार किया जा रहा है, इसकी स्पष्ट जानकारी अधिकांश अधिवक्ताओं को नहीं है। इसलिए वेलफेयर फंड में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

दिलीप सिंह उदावत ने संबोधन मे कहा कि अधिवक्ता हितों से जुड़े प्रत्येक विषय पर होने वाला विचार-विमर्श अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता समाज की समस्याओं और मांगों पर सरकार को गंभीरता से विचार कर उन्हें स्वीकार करना चाहिए।

अभिभाषक मंडल टोंक के अध्यक्ष शैलेन्द्र शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि अधिवक्ता कभी भी रिटायर नहीं होता, वह जीवनभर न्याय व्यवस्था की सेवा करता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा एडीआर कार्यालय खोलने से न्याय व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। छोटे-छोटे शहरों में कार्यरत अधिवक्ताओं को बढ़ती समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के समय राजनेता बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन अधिवक्ताओं के हितों की बात बहुत कम की जाती है। उन्होंने मांग की कि बार काउंसिल के चुनाव में प्रत्येक जिले से प्रतिनिधिमंडल का सदस्य होना चाहिए, ताकि सभी जिलों के अधिवक्ताओं की आवाज को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके।

कॉन्फ्रेंस के द्वितीय सत्र में अधिवक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर राकेश प्रजापत (अध्यक्ष, ब्यावर), विजयराज चौधरी (अध्यक्ष, बाली), देवेंद्र (अध्यक्ष, सोजत), मुकेश श्रीमाली (अध्यक्ष, देसूरी) तथा ललित दवे (अध्यक्ष, रानी) ने अधिवक्ता हितों से जुड़े विषयों पर अपने विचार रखते हुए अधिवक्ताओं की समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की।

जयपुर से राममनोहर शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि अधिवक्ताओं की हुंकार आज इस पवित्र नगरी से उठ रही है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को जागरूक करना हम सभी की जिम्मेदारी है, ताकि अधिवक्ता समाज अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रह सके। उन्होंने कहा कि कई बार बार काउंसिल और राज्य सरकार अधिवक्ताओं की आवाज को दबाने का प्रयास करती है, लेकिन अधिवक्ताओं की एकता के कारण उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने अधिवक्ताओं से एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आने का आहवान किया।

अभिभाषक मंडल अध्यक्ष पी.एम. जोशी एवं सचिव मुकुल सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य स्तरीय अधिवक्ता कॉन्फ्रेंस में प्रदेशभर से आने वाले अधिवक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।

इसके तहत अधिवक्ताओं के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर, आवास व्यवस्था तथा चिकित्सा काउंटर की समुचित व्यवस्था की गई, ताकि बाहर से आने वाले अधिवक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि आयोजन स्थल पर सभी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किया जा रहा है।

मदनलाल सोनी , महेन्द्र कुमार व्यास , सुमेर सिंह राजपुरोहित, कमलेश दवेरा , योगेन्द्र ओझा, चन्द्रभानु सिंह, महेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष जब्बरसिंह सिंह, सचिव मुकुल सोनी, कुन्दन चौहान, सद्दाम काजी, हेमाराम, दीपक सोनी, भवानी साहू, रिषभ, अल्ताफ, अर्जुन राठौड, उमेश सांखला, कुसुम लता, डिम्पल, प्रियंका, संतोष सहित अधिवक्ता मौजूद रहे।

आहोर में इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत लगी

आहोर, (निसं)।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के तत्वावधान में सिविल न्यायालय आहोर में शनिवार को वर्ष की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया।

इस दौरान न्यायाधीश सुधीर चौहान ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालोर के अध्यक्ष व जिला एवं सेशन न्यायाधीश कमल छंगाणी के आदेशानुसार आहोर न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ न्यायाधीश सुधीर चौहान व पैनल अधिवक्ता गजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में किया गया है।

राष्ट्रीय लोक अदालत में एक बेंच का गठन किया गया जिसमें न्यायाधीश सुधीर चौहान व उपखंड अधिकारी रोहित चौहान व सदस्य गजेन्द्र सिंह रहे। बेंच द्वारा पक्षकारों में आपसी सहमति द्वारा मामलों का आपसी सहमति से राजीनामा अन्तिम रूप से निपटारा किया गया। बेंच द्वारा सिविल न्यायालय व राजस्व न्यायालय के 126 मामलों का समझोते करवाकर पक्षकारों को राहत प्रदान की गई। वहीं न्यायालय द्वारा 8 लाख छब्बीस हजार पांच सौ रुपए की वसुली कर राहत प्रदान की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकार मित्र देवाराम व पुष्पा द्वारा हेल्प डेस्क पर आमजन को अपनी सेवाएं देते हुए लोक अदालत व विधिक सेवा की समस्त योजनाओं की जानकारी दी गई।

एडवोकेट रमेश कुमार बेदाना व भलाराम देवासी के द्वारा शिविर में निशुल्क सेवा दी गई व पक्षकारों के मध्य मध्यस्थता करवाकर राहत प्रदान की गई। लोक अदालत में निपटाये जाने वाले समस्त कार्यों की जानकारी दी गई।

इस दौरान न्यायालय रीडर फुटरमल, लिपिक प्रतापाराम,सुनिल गौरा,सतीश विश्नोई, रामलाल भोलाराम, कैलाश कुमार, जितेन्द्र कुमार सहित पक्षकार मौजूद रहे।

राष्ट्रीय लोक अदालत में 290814 प्रकरण निपटाए

जोधपुर, (कासं)।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2026 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र में किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर के सचिव राकेश रामावत ने बताया कि जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र में वर्ष 2026 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन आज किया गया, जिसमें न्यायालयों, राजस्व न्यायालयों, जिला उपभोक्ता मंच तथा स्थाई लोक अदालत से सम्बन्धित विभिन्न श्रेणी के राजीनामा योग्य लम्बित 34,764 प्रकरणों तथा प्रि-लिटिगेशन में प्राप्त 2,92,626 प्रकरणों, कुल 3,27,390 प्रकरणों को रखा गया।

जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र में न्यायालयों के लंबित प्रकरण, स्थाई लोक अदालत के प्रकरण, जिला उपभोक्ता मंच के प्रकरण व राजस्व मामलों के कुल 21,170 प्रकरणों का लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण किया गया तथा 49,39,70,914 रूपये अवार्ड राशि पारित की गई। इसके अतिरिक्त प्रि-लिटिगेशन के कुल 2,69,644 प्रकरण निस्तारित किए गए तथा 5,03,19,916 रूपयें अवार्ड राशि पारित की गई। यह वे प्रकरण हैं जो न्यायालयों में संस्थित होने से पूर्व निस्तारित हो चुके हैं। इस प्रकार इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रि-लिटिगेशन तथा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में से 2,90,814 प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा कुल 54,42,90,830 रूपयें की राशि के अवार्ड राशि पारित की गई। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में चैक अनादरण से संबंधित धारा 138 एनआई एक्ट के 979 प्रकरणों का निस्तारण जरिए आपसी समझाईश एवं राजीनामे के माध्यम से किया गया तथा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में 10 वर्ष एवं उससे अधिक पुराने 50 प्रकरणों तथा 05 वर्ष से अधिक पुराने 289 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र के सभी न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, न्यायालय तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर के कर्मचारीगण, संविदाकर्मी, बैंक एवं बीमा कंपनियों के अधिकारीगण एवं अधिवक्तागण, प्रशासन, नगर निगम एवं पुलिस विभाग व इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया द्वारा संपूर्ण योगदान प्रदान करते हुए इस पुनित कार्य को टीम भावना से संपादित किया गया।

जिला मुख्यालय जोधपुर जिला पर 03 और तालुकाओं में उपखण्ड न्यायालयों सहित कुल 08 बैंचों का गठन किया गया था। जिला मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों में लम्बित राजीनामे योग्य प्रकरणों के निस्तारण के लिए पूरण कुमार शर्मा, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), जोधपुर जिला, डॉ. मनीष हरजाई, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश), जोधपुर जिला तथा आदित्य, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला की अध्यक्षता में बैंचों का गठन किया गया, जिसमें बैंच के सदस्य के रूप में अधिवक्ता क्रमशः भानुप्रकाश दाधीच, रामप्रकाश प्रजापत एवं जुगल किशोर उपस्थित रहे।

पूरण कुमार शर्मा की अध्यक्षता में गठित बैंच में जनोपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित स्थाई लोक अदालत, जोधपुर जिला के प्रकरणों को भी निस्तारण के लिए सम्मिलित किया गया। इन सभी बैंचों द्वारा पक्षकारों को लोक अदालत में प्रकरणों के निस्तारण से होने वाले लाभ बताते हुए समझाईश की गई व प्रकरणों का निस्तारण राजीनामें से किया गया।

डॉ. हरजाई ने बताया कि लोक अदालत में पक्षकारों को शीघ्र व सुलभ न्याय मिलता है। लोक अदालत में होने वाले राजीनामें की कोई अपील नहीं होती व सिविल कोर्ट के आदेश की तरह पालना होती है।

इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जोधपुर जिला न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों में लम्बित, प्री-लिटिगेशन एवं सिविल, फौजदारी व राजस्व न्यायालयों के प्रकरणों को रैफर कर निस्तारण किया गया।

एनएसयूआई का प्रदर्शन

जालोर, (कासं)। जालोर जिले के विभिन्न महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर शनिवार को एनएसयूआई जालौर के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार एनएसयूआई जिला अध्यक्ष सुष्मिता गर्ग के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को कठिनाई हो रही है। वहीं कई विद्यार्थियों के परीक्षा केंद्र दूर बनाए जाने के कारण आवागमन में भी भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है।

ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम समय पर पूरा कराया जाए और विद्यार्थियों से वसूली जा रही अत्यधिक फीस पर रोक लगाई जाए।

साथ ही जालोर जिले में युवाओं के बढते पलायन को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर उद्योगों को बढावा देने की आवश्यकता बताई गई, ताकि युवाओं को जिले में ही रोजगार के अवसर मिल सकें।

एनएसयूआई पदाधिकारियों ने महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव समय पर करवाने और युवा पीढी में बढती नशे की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने की भी मांग की।

इस दौरान एनएसयूआई के जोगाराम धनवत, लक्ष्मण, हवताराम चौधरी सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

निरीक्षण किया

पाली,(नि.सं.)। जिला कलेक्टर एल एन मंत्री के निर्देशानुसार आज शनिवार को खतगढ़ में स्थित तखतगढ गैस सर्विस के ऑफिस एवं गोदाम का निरीक्षण उपखंड अधिकारी कालूराम कुम्हार ने किया।

निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों पर आठ घरेलू सिलेंडर पाए गए जिन्हें जब्त करने की कार्यवाही की गई।

वर्तमान में उपखण्ड क्षेत्र में एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने, कालाबाजारी नहीं करने के संबंध में निर्देश दिए गए।

उक्त निरीक्षण में उपखंड अधिकारी के अतिरिक्त नायब तहसीलदार जितेंद्र बबेरवाल तखतगढ, प्रवर्तन निरीक्षक जितेंद्र सिंह एवं तखतगढ गैस सर्विस के संचालक मौके पर उपस्थित रहे।

पत्नी को तीन बार बोला तलाक, पत्नी ने किया केस

जोधपुर,(कासं)। शहर के सरदारपुरा पुलिस थाना के जालोरी गेट ईदगाह क्षेत्र में रहने वाली एक महिला को तीन बार तलाक बोलकर संबंध विच्छेद किए जाने का मामला पुलिस में दर्ज हुआ है। पीड़ित पत्नी की तरफ से सरदारपुरा थाने में इसकी रिपोर्ट दी गई है। पीड़िता ने लज्जा भंग का भी आरोप लगाया है।

सरदारपुरा पुलिस ने बताया कि रिपोर्ट में महिला ने बताया कि उसका निकाह जालोरी गेट ईदगाह क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति से हुआ था। काफी समय तक कुछ अच्छा रहा बाद में वह झगड़े पर उतारू हो गया।

अब उसके पति ने तीन बार तलाक बोलकर संबंध विच्छेद कर लिए। पीड़िता का आरोप है कि उसकी लज्जा भंग भी की गई।

सुशील यादव ने गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया

बालोतरा, (निसं)। बालोतरा जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था का जायजा लेने के लिए जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव ने शनिवार को गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ पुलिस अधीक्षक रमेश तथा जिला रसद अधिकारी हजारीलाल आलोरिया भी मौजूद रहे।

निरीक्षण के दौरान जिला कलक्टर सुशील कुमार यादव ने गगराना इंडेन गैस एजेंसी तथा मधुबनी एचपी गैस एजेंसी का दौरा कर गैस सिलेंडरों के भंडारण, वितरण व्यवस्था, सुरक्षा मानकों एवं उपभोक्ताओं को दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली।

उन्होंने एजेंसी संचालकों से गैस सिलेंडरों की उपलब्धता, बुकिंग व्यवस्था तथा उपभोक्ताओं को समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के संबंध में विस्तृत चर्चा की।

जिला कलक्टर यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में एलपीजी गैस की आपूर्ति सुचारू रूप से बनाए रखी जाए तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता या कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने एजेंसी संचालकों को उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने और पारदर्शी व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए।

इस दौरान उन्होंने गैस गोदामों में सुरक्षा मानकों का भी निरीक्षण किया तथा अग्नि सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता और उनकी कार्यशीलता की जांच की। साथ ही गैस सिलेंडरों के सुरक्षित भंडारण एवं परिवहन के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

यादव ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि जिले में एलपीजी गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है, इसलिए किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और आवश्यकता के अनुसार ही गैस सिलेंडर की बुकिंग करें। प्रशासन की ओर से गैस आपूर्ति व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

स्वच्छता अभियान

पाली, (नि.सं.)। राजस्थान दिवस 2026 के अंतर्गत स्वच्छता सप्ताह के शुभारम्भ की प्रथम कड़ी में शनिवार को लाखोटिया उद्यान में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया।

जानकारी के अनुसार कार्यक्रम के तहत नगर निगम के कर्मचारियों को रंगमंच मैदान, अटल उद्यान, लाखोटिया गार्डन, गौघाट, माली समाज रोड सहित विभिन्न स्थानों पर आवंटित कर व्यापक सफाई करवाई गई।

जैसलमेर में श्रमदान किया

जैसलमेर, (नि.सं.)। राजस्थान दिवस सप्ताह के तहत शनिवार को जिला मुख्यालय पर मंगलसिंह पार्क में जिला स्तरीय श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी एवं जिला कलक्टर प्रतापसिंह ने श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया एवं आमजन से अपने घर, मोहल्ले और शहर को स्वच्छ रखने की अपील की।

स्वच्छता अभियान के दौरान पार्क परिसर में व्यापक सफाई अभियान चलाया गया। जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों एवं अधिकारियों ने स्वयं श्रमदान कर स्वच्छता के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का संदेश दिया। अधिकारियों, नगर परिषद के कार्मिकों, समाजसेवी, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, युवाओं एवं स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई।

कार्यक्रम में जिला कलक्टर प्रतापसिंह के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी रश्मि रानी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र सिंह, अधीक्षण अभियंता विद्युत भैरा राम, खेल अधिकारी राकेश विश्नोई, महिला अधिकारिता उपनिदेशक अशोक गोयल सहित कई जने उपस्थित रहे।

बालोतरा में 66596 प्रकरणों का निस्तारण

बालोतरा, (निसं)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार शनिवार को बालोतरा न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों में वर्ष 2026 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया।

इस लोक अदालत में कुल 66,596 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 3 करोड 59 लाख 21 हजार 52 रुपये की राशि का अवार्ड पारित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा के अध्यक्ष एम. आर. सुथार ने बताया कि लोक अदालत के लिए न्यायक्षेत्र में कुल 5 बैंचों का गङ्गन किया गया था। इन बैंचों की अध्यक्षता न्यायिक अधिकारियों व राजस्व अधिकारियों ने की, जबकि सदस्य के रूप में अधिवक्ताओं ने भागीदारी निभाई। लोक अदालत में पक्षकारों के अलावा बीमा कंपनियों, बैंकिंग व वित्तीय संस्थानों, बिजली, जलदाय, टेलिफोन, खनन तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया।

उन्होंने बताया कि अधिकाधिक प्रकरणों के निस्तारण के उद्देश्य से न्यायालयों में लंबित व प्रि-लिटिगेशन प्रकरणों में पक्षकारों को नोटिस भेजकर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की गई।

इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में पक्षकार लोक अदालत में उपस्थित हुए और आपसी समझाइश व राजीनामे के माध्यम से प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिद्धार्थ दीप ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में किए गए राजीनामे के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती और यह आदेश दीवानी न्यायालय के आदेश की तरह ही बाध्यकारी होता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से आमजन को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने का उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरा हुआ है।

बालोतरा जिला मुख्यालय पर लंबित और प्रि-लिटिगेशन प्रकरणों के निस्तारण के लिए तीन बैंचों का गङ्गन किया गया। इनमें एक बैंच की अध्यक्षता जिला एवं सेशन न्यायाधीश एम. आर. सुथार ने की, जबकि प्रि-लिटिगेशन बैंच की अध्यक्षता सचिव सिद्धार्थ दीप ने की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर तक के प्रकरणों के लिए गङ्गित बैंच की अध्यक्षता अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनल ललवानी ने की।

लोक अदालत की बैंचों में अधिवक्ता भगवतसिंह राठौड, उमरदीन मेहर, देवीसिंह महेचा तथा सहायक प्रशासनिक अधिकारी राजेन्द्र कुमार ने सदस्य के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई।

लंबित व प्रि-लिटिगेशन प्रकरणों के निस्तारण के लिए प्रमुख बैंक व वित्तीय संस्थान जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, श्रीराम फाइनेंस, बेलस्टार फाइनेंस, बैंक ऑफ बडौदा तथा पंजाब नेशनल बैंक के प्रतिनिधियों के साथ बीमा कंपनियों, बिजली विभाग और जल विभाग के अधिकारियों ने भी भाग लिया।

इस अवसर पर बालोतरा न्यायक्षेत्र के सभी अधिवक्ताओं और न्यायालय कर्मचारियों ने लोक अदालत को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

शेर-ए-राजस्थान व्यास की पुण्यतिथि मनाई

पाली, (नि.सं.)। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, लोकनायक शेर-ए-राजस्थान जयनारायण व्यास की 64वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पाली के आमजन एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा स्थानीय जयनारायण व्यास सर्किल स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई।

इस दौरान नगर परिषद के पूर्व सभापति मांगीलाल गांधी, महेन्द्र बोहरा, पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजीज दर्द, कांग्रेस नेता महावीर सिंह सुकरलाई, मोहन हटेला, जीवराज बोराणा, अमीन अली रंगरेज, केतन जैन, दिनेश दवे, मांगुसिंह दूदावत, कमरुद्दीन पठान, प्रवीण कोठारी, सांसद प्रतिनिधि राकेश भाटी, मनीष ओझा, कमलेश कल्ला, शिवनारायण कल्ला, रमेश चौधरी, ललित बोहरा, दिनेश बोहरा, मयंक बोहरा और वी. डी. बोहरा ने पुष्पवर्षा कर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया।

कार्यक्रम के अंत में शेर-ए-राजस्थान स्मृति संस्थान के संयोजक एडवोकेट मुरली मनोहर बोड़ा ने सभी उपस्थित जनों का धन्यवाद ज्ञापित किया एवं सुरेन्द्र पुरोहित ने सभी का आभार व्यक्त किया।

आरोग्य मेला जारी

पाली, (नि.सं.)। संभाग स्तरीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन 12 मार्च से 15 मार्च 2026 तक पाली के रामलीला मैदान में जिला प्रशासन एवं आयुर्वेद विभाग के संयुक्त तत्वावधान में होरहा है। उपनिदेशक डॉ बजरंगलाल शर्मा ने बताया कि निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर से आए अतिरिक्त निदेशक डॉ रमेश मीणा ने मेले का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए।

पर्यावरण स्वीकृति सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि स्टेट लेवल एन्वायरमेन्ट इम्पेक्ट एसेसमेन्ट ऑथोरिटी जयपुर (राज.) के पत्र क्रमांक F1 (4)/SEIAA/SEAC-Raj/Sectt /Project/Cat-1(a)B2 F1(4)/SEIAA/ SEAC-Raj/Sectt/Project/Cat-1(a)B2 (17114)/2019-20, Jaipur Dated:- 14/05/2020 द्वारा मैसर्स श्री निधि ग्रेनाईट, निकट ग्राम अणेवा, तहसील देसूरी, जिला पाली (राज.) में स्थित खनन पट्टा संख्या – 29/2018 (Ref. No.- 201810000936), क्षेत्रफल 2.0292 हैक्टयर, उत्पादन क्षमता 2,46,288 TPA (ROM) [Saleable Mineral-1, 10,830 TPA & Waste-1, 35,458 TPA], वास्ते खनिज ग्रेनाईट के पक्ष में पर्यावरण क्लीरियेन्स जारी कि गई है। पर्यावरण क्लीरियेन्स की प्रति राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण मण्डल (राज.) (SEIAA) राजस्थान जयपुर व सम्बन्धित विभागों में उपलब्ध है। **मैसर्स श्री निधि ग्रेनाईट**

नोटिस तारीख पेशी

अज अदालत सहायक कलेक्टर महोदय, जालोर
पीठासीन अधिकारी श्री मनोज, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या - 194/2025
बअनवान चंपालाल बनाम रणछोड़ाराम

अप्रार्थीगण-रणछोडाराम, मेदाराम, राजी, शांति, हरिराम, भारताराम, जामताराम, अणची पुत्र/पुत्रीगण वजिंगा, सांवलाराम, ओटाराम पुत्रगण पारसाराम, कमला देवी पत्नी जोगाराम, केतु, चौथी देवी, पपूराम पुत्र / पुत्रीगण जोगाराम, कदली पत्नी भीखला, नाथाराम पुत्र भीखला, केराराम पुत्र तोकला, भूरकी पत्नी तोकला, चेला, नवाराम, ववाराम, रूपाराम पुत्रगण घेवाराम, मेथली पुत्री तलिया, समस्त जातियान भील, निवासीगण जालोर, तहसील व जिला जालोर जरिए हाजा इत्तला दी जाती है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् सीमा चिन्ह कायम करने व पत्थरगढ़ी करने का पेश किया है, जो इस अदालत में दर्ज रजिस्टर किया गया है, जिसमें नोटिस में वर्णित अप्रार्थीगण की तामील बाकी है, जिस हेतु तारीख 06.04.2026 को पेशी इस अदालत में पुनः सुनवाई के लिए मुकर्रर की गई है। अगर आपकी तरफ से आप खुद आपका वकील और कोई शख्स कानूनन इस प्रार्थना पत्र की पैरवी कर सकता हो, तो हाजिर हो। अगर हाजिर नहीं हुआ तो आपकी अदम मौजूदगी में प्रार्थना पत्र सुनकर फैसला किया जाएगा। बसिल्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 12 माह 03 सन् 26 को जारी किया गया।

मोहर अदालत

आज्ञा से-रीडर, सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जालोर